पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–02–29
क्रमांक-208/2017
आरबीई सं0–103/2017
सं0 ई/9/15/भाग–III/चार

दिनांक –09–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–यात्रा भत्ता नियम–सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 एफ(ई)I/2017/एएल–28/41 दिनांक 24.08.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-255

28 AUG 2017

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

PC-VII No. 45
RBE No. 103/2017

No. F(E)I/2017/AL-28/41

New Delhi, dated 24.08.2017

The General Managers, North Eastern Railway Gorakhpur
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Travelling Allowance Rules –Implementation of the Seventh Central Pay Commission.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Travelling Allowance entitlements, sanction of the President is conveyed to the revision in the Railway Travelling Allowance Rules as set out in the Annexure to this letter.

2. The 'Pay Level' for determining the TA/DA entitlement is as indicated in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

3. The term 'Pay' in the level for the purpose of these orders refer to Basic Pay drawn in appropriate Pay Level in the Pay Matrix as defined in Rule 3(8) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and does not include Non-Practising allowance (NPA), or any other type of pay like special pay etc.

4. However, if the Travelling Allowance entitlements in terms of the revised entitlements now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, groups or classes of employees, the entitlements, particularly in respect of mode of travel, class of accommodation, etc., shall not be lowered. They will instead continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time as they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.

5. The claims submitted in respect of journey made on or after 1st July, 2017, may be regulated in accordance with these orders. In respect of journeys performed prior to 1st July, 2017, the claims may be regulated in accordance with the previous orders dated 01.12.2008.

6. It may be noted that no additional funds will be provided on account of revision in TA/DA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements.

7. **These orders shall take effect from 1st July, 2017.**

8. Hindi version is enclosed.

9. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board

No. F(E)I/2017/AL-28/41

New Delhi, dated 24.08.2017

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

Contd/. .2/-

(i) At places where specific rates have been prescribed:

Pay Level in Pay Matrix	Entitlements
14 or above	Actual fare by any type of public bus including AC bus **OR** At prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC Taxi **OR** At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto-rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped etc.
6 to 13	Same as above with the exception that journeys by AC taxi will not be permissible
4 and 5	Actual fare by any type of public bus other than AC bus **OR** At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto-rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped etc
3 and below	Actual fare by ordinary public bus only **OR** At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto-rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped etc

(ii) At places where no specific rates have been prescribed either by the Directorate of Transport of the concerned State or of the neighbouring states (these rates will further rise by 25 % whenever DA increases by 50%):

For journeys performed in own car / taxi	₹24/- per Km.
For journeys performed by auto-rickshaw own scooter, etc	₹12/- per Km.

E. Journeys by Rail:

Free passes, as admissible under Rules, may be issued to a Railway servant.

3. *TA entitlements on Transfer*

TA on Transfer includes 4 components: (A) Travel entitlement for self [illegible] family (B) Composite Transfer and packing grant (CTG) (C) Reimbursement of charges [illegible] transportation of personal effects (D) Reimbursement of charges on transportation [illegible] conveyance.

A. Travel Entitlements:

(i) Journeys by Air: Officers in Level-15 and above, while on transfer [illegible] entitled for air travel in 'J'/ Business Class, at their discretion to [illegible] HQs. Officers in level 14 may also be permitted to travel by [illegible] approval of Competent Authority, subject to exigency and where [illegible] transfer station has to be effected with immediate effect. This [illegible] to fulfillment of conditions as per Board's letter no. F(E)I/2003/[illegible] 16.9.2003. The air fare is, however, admissible for self [illegible] member of any Railway servant is entitled to travel by air on transfer

Annexure to Board's letter No. F(E)I/2017/AL-28/41 dated 24.08.2017.

In partial modification of Railway Travelling Allowance Rules contained in Chapter 16-IREC-Vol.II (2005 Edition) and Board's letters No. F(E)I/2008/AL-28/14 and F(E)I/2008/AL-28/15, dated 01.12.2008, the following provisions will be applicable with effect from 01.07.2017.

2. *Entitlements for Journeys on Tour or Training*

A. Journeys by Air within the Country.

(i) Officers in Level-16 and above, while on tour, may be entitled for air travel in 'J'/ Business Class.

(ii) All other Officers, otherwise authorized to travel by Air may be entitled to travel by economy class.

All mileage points earned by Railway employees on tickets purchased for official travel shall be utilized by the Railway for other official travel by their officers. Any usage of these mileage points for purposes of private travel by an officer will attract departmental action. This is to ensure that the benefits out of official travel, which is funded by the Railway, should accrue to the Railway. It is the responsibility of the officer concerned to ensure that free mileage points are used only for official travel and not for personal trips. Any other incentives and similar packages such as free companion etc. should be so negotiated that the benefits come to the Railway.

B. Journey by Air (International)

Pay level in Pay Matrix	Travel entitlement
14 and above	Business/ Club Class
Other officers who are authorized to travel by air	Economy Class

C. Journeys by Sea or River Streamer

(i) For places other than A&N Group of islands and Lakshadweep Group of Island:

Pay level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Highest Class
6 to 8	Lower class if there be two classes only on the steamer
4 and 5	If two classes only, the lower class. If three classes, the middle or second class. If there be four classes, the third class
3 and below	Lowest class

(ii) For travel between the mainland and the A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of island by ships operated by the shipping Corporation of India Limited:

Pay level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Deluxe Class
6 to 8	First/'A' Cabin class
4 and 5	Second/'B' Cabin class
3 and below	Bunk class

to a Railway servant and his family members.

(iii) Journeys by Road: A Railway servant is not entitled to travel by road, between stations connected by rail. However, between stations not connected by rail a railway servant and his family members may travel by road. The entitlement in this regard is same as para 2(D) above.

B. Composite Transfer and Packing Grant (CTG):

(i) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 kms. from each other. Further, NPA shall not be included as part of basic pay while determining entitlements for CTG.

(ii) In cases of transfer to stations which are at a distance of less than 20 kms. from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.

(iii) In cases where the transfer of husband and wife takes place within six months, but after 60 days of the transfer of the spouse, fifty percent of the transfer grant on transfer shall be allowed to the spouse transferred later. No transfer grant shall be admissible to the spouse transferred later, in case both the transfers are ordered within 60 days. The existing provisions shall continue to be applicable in case of transfers after a period of six months or more. Other rules precluding transfer grant in case of transfer at own request or transfer other than in public interest, shall continue to apply unchanged in their case.

C. Transportation of personal effects:

Level	Rate for transport by road
6 and above	₹50 /- per Km
5	₹25 /- per Km
4 and below	₹15/- per Km

These rates will further rise by 25% whenever DA increases by 50%. The claim for reimbursement shall be admissible subject to the production of actual receipts / vouchers by the railway servants.

D. Transportation of conveyance.

Reimbursement of charges on transportation of conveyance as admissible under Rules, may be provided.

4. *TA entitlement on retirement*

TA on retirement includes 04 components: (A) Travel entitlement for self and family (B) Composite Transfer and packing grant (CTG) (C) Reimbursement of charges on transportation of personal of effects (D) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

A. Travel Entitlements: same as para 3(A) above

B. Composite Transfer Grant:

(i) The composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of Basic Pay last drawn in case of those Railways employees, who on retirement settle down at places other that last station of their duty located at [illegible]

or more than 20 Km . However, in case of settlement to and from the island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep. CTG shall be paid at the rate of 100% of basic pay last drawn. The transfer incidentals and road mileage for journeys between the residence and the railway stations/ bus stand etc. at the old and new station, are already subsumed in the CTG and will not be separately admissible.

(ii) For Railway servants, who on retirement settle at the last station of duty itself or within the distance of less than 20 Kms. may be paid one third of the CTG subject to the condition that a change of residence is actually involved.

C. **Transportation of Personal Effects:** Same as para 3(C) above.

D. **Transportation of conveyance:** Same as para 3(D) above.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VII सं. 45
आरबीई सं. 103/2017

सं. एफ(ई)I/2017/एएल-28/41

नई दिल्ली, दिनांक 24.08.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: यात्रा भत्ता नियम – सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वियन।

यात्रा भत्ते की पात्रताओं के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप इस पत्र के अनुलग्नक में यथा निर्दिष्ट रेल यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है।

2. टीए/डीए की पात्रता निर्धारित करने के लिए 'वेतन लेबल', रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में दर्शाए गए अनुसार होगा।

3. इन आदेशों के प्रयोजन के लिए, लेवल में 'वेतन' शब्द का आशय रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(8) में यथा निर्धारित पे मैट्रिक्स में समुचित वेतन स्तर में लिए जा रहे मूल वेतन से है और इसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता अथवा किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होगा।

4. बहरहाल, यदि अब निर्धारित संशोधित पात्रताओं के अनुसार किसी कर्मचारी, कर्मचारियों के समूह अथवा श्रेणी के मामले में यात्रा भत्ते की पात्रता मौजूदा पात्रता से कम हो जाती है, विशेष रूप से यात्रा के साधन, एकोमोडेशन की श्रेणी आदि के मामले में तो, पात्रता को कम नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर वे उस समय तक, जब तक सामान्यतौर पर उच्चतर पात्रता के लिए हकदार नहीं हो जाते उनके लिए पूर्व के आदेश ही लागू रहेंगे।

5. 1 जुलाई, 2017 को अथवा उसके पश्चात् की गई यात्रा के संबंध में प्रस्तुत किए गए दावों के संबंध में इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। 1 जुलाई, 2017 से पूर्व की गई यात्राओं से संबंधित उन दावों पर 01.12.2[illegible] के पिछले आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

6. यह नोट किया जाए कि टीए/डीए की पात्रता में संशोधन के लिए कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं [illegible] जाएगी। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी यात्रा की अनुमति विवेकपूर्ण ढंग से दी जाए और इन्हें केवल [illegible] अनिवार्य सरकारी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखा जाए।

7. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

8. कृपया पावती दें।

[illegible]
उप निदेशक [illegible]
[illegible]

भारतीय रेल स्थापना संहिता-वॉल्यूम II (2005 संस्करण) के अध्याय 16 और बोर्ड के दिनांक 01.12.2008 के पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14 तथा एफ(ई)I/2008/एएल-28/15 में निहित रेलवे यात्रा भत्ता नियमों में आंशिक आशोधन करते हुए 01.07.2017 से निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

2. <u>दौरे अथवा प्रशिक्षण पर यात्रा के लिए पात्रता</u>

क. देश के भीतर हवाई यात्रा

(i) लेवल-16 तथा उसके ऊपर के अधिकारी दौरे के दौरान 'जे'/बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा के लिए पात्र हैं।

(ii) अन्य सभी अधिकारी, जो अन्यथा हवाई यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं, इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने के लिए पात्र हैं।

सरकारी यात्रा के लिए खरीदी गई टिकटों पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए गए माइलेज प्वाइंटों का उपयोग रेलवे द्वारा अपने अधिकारियों की अन्य सरकारी यात्रा के लिए किया जाएगा। इन माइलेज प्वाइंटों का अधिकारी द्वारा किसी निजी यात्रा के प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ऐसी यात्रा, जिसे रेलवे द्वारा वित्तपोषित किया गया है, से प्राप्त होने वाले लाभ, रेलवे को ही प्राप्त होने चाहिए। यह संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि निःशुल्क माइलेज प्वाइंट निजी यात्रा के लिए नहीं बल्कि सरकारी यात्रा के लिए उपयोग किए जाएं। कोई अन्य प्रोत्साहन और इस प्रकार के पैकेज जैसे कि निःशुल्क सहचर आदि पर इस प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए कि इसके लाभ रेलवे को ही प्राप्त हों।

ख. हवाई यात्रा (अन्तरराष्ट्रीय)

पे मैट्रिक्स में पे लेवल	यात्रा करने की पात्रता
14 और उससे ऊपर	बिजनेस/क्लब क्लास
अन्य अधिकारी जो हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं	इकोनॉमी क्लास

ग. समुद्र अथवा नदी में स्टीमर से की जाने वाली यात्रा

(i) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों तथा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को छोड़कर अन्य स्थान:

पे मैट्रिक्स में पे लेवल	यात्रा की पात्रता
9 और उससे ऊपर	उच्चतम श्रेणी
6 से 8	स्टीमर में निम्नतर श्रेणी, यदि उसमें दो श्रेणियां हों
4 और 5	यदि केवल दो श्रेणियां हों, तो निचली श्रेणी. यदि तीन श्रेणियां हों तो मध्य अथवा दूसरी श्रेणी. यदि चार श्रेणियां हों, तो तृतीय श्रेणी.
3 और उससे नीचे	सबसे निचली श्रेणी

(ii) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा परिचालित जहाजों द्वारा मुख्य भूमि और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों तथा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों के मध्य यात्रा के लिए:

पे मैट्रिक्स में पे लेवल	यात्रा करने की पात्रता
9 और उससे ऊपर	डीलक्स क्लास
6 से 8	प्रथम/'ए' केबिन क्लास
4 और 5	द्वितीय/'बी' केबिन क्लास
3 और उससे नीचे	बंक क्लास

घ. सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए मील दूरी भत्ता

(i) ऐसे स्थानों जिनके लिए विशिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं:

पे मैट्रिक्स में पे लेवल	पात्रता
14 अथवा उससे ऊपर	एसी बस सहित किसी प्रकार की सार्वजनिक बस द्वारा लिए जाने वाला वास्तविक किराया **अथवा** एसी टैक्सी की निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तव में एसी टैक्सी द्वारा की गई हो **अथवा** यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर, जब यात्रा ऑटो रिक्शा, अपनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि द्वारा की गई हो।
6 से 13	ऊपर उल्लिखित के समान, इस अपवाद के साथ कि एसी टैक्सी द्वारा यात्रा अनुमेय नहीं होगी।
4 और 5	एसी बस को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की सार्वजनिक बस द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक किराया **अथवा** यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर, जब यात्रा ऑटो रिक्शा, अपनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि द्वारा की गई हो।
3 और उससे नीचे	केवल सामान्य सार्वजनिक बस द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक किराया **अथवा** यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर, जब यात्रा ऑटो रिक्शा, अपनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि द्वारा की गई हो।

(ii) ऐसे स्थान जिनके लिए संबंधित राज्य अथवा पड़ोसी राज्यों में किसी के भी द्वारा कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई हो(जब कभी महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाए तो इन दरों में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी)

अपनी कार/टैक्सी द्वारा की गई यात्राओं के लिए	रू.24/- प्रति किमी.
ऑटो रिक्शा, अपने स्कूटर आदि द्वारा की गई यात्राओं के लिए	रू 12/- प्रति किमी.

ङ. रेल द्वारा यात्रा

रेलवे कर्मचारी को नियमों के तहत यथा स्वीकार्य निःशुल्क पास जारी किए जाएंगे।

3. *स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते की पात्रता*

स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते में चार घटक शामिल हैं: (क) स्वयं और परिवार के लिए यात्रा की पात्रता (ख) कम्पोजिट ट्रान्सफर एवं पैकिंग ग्रांट (सीटीजी) (ग) निजी सामान की ढुलाई पर परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति (घ) वाहन की ढुलाई पर प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

(i) <u>हवाई मार्ग द्वारा यात्राएं</u>: लेवल-15 और इससे ऊपर के लेवल के अधिकारी, स्थानांतरण के समय, नए मुख्यालयों में ज्वाइन करने के लिए अपने विवेक पर हवाई यात्रा में 'जे'/बिज़नस क्लास के हक़दार हैं। लेवल 14 के अधिकारियों को भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से हवाई यात्रा की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि तात्कालिकता हो और जहां स्थानांतरण वाले स्टेशन पर तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करना अपेक्षित हो। इसके लिए बोर्ड के दिनांक 16.9.2003 के पत्र सं. एफ (ई)I/2003/एएल-28/7 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना भी अपेक्षित है। बहरहाल, विमान किराया केवल स्वयं के लिए स्वीकार्य है। स्थानांतरण के समय किसी भी रेलवे कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है।

(ii) <u>रेल द्वारा यात्राएं</u>: रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नियमों के तहत यथा स्वीकार्य निःशुल्क पास जारी किए जाएँ।

(iii) <u>सड़क द्वारा यात्राएं</u>: रेलवे कर्मचारी, रेल द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क से यात्रा करने के पात्र नहीं है। बहरहाल, रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य उन स्टेशनों के बीच सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं, जो स्टेशन रेल द्वारा नहीं जुड़े है। इस संबंध में पात्रता उपर्युक्त पैरा 2(घ) के अनुसार है।

ख. कम्पोजिट ट्रान्सफर एवं पैकिंग ग्रांट (सीटीजी):

(i) स्थानांतरण के ऐसे मामलों, जहां स्थानांतरण 20 किमी. अथवा इससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर किया गया हो, में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रांट का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 80% की दर से किया जाएगा। इसके अलावा, सीटीजी की पात्रता तय करते समय एनपीए को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे स्थान पर स्थानांतरण के मामलों में जहां स्थानांतरण पुराने स्थान से 20 किमी. से कम की दूरी पर हो और यह उसी शहर के भीतर हो, सीटीजी का एक तिहाई स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि स्थानांतरण में वास्तव में आवास बदला गया हो।

(iii) ऐसे मामलों, जहां पति और पत्नी का स्थानांतरण छः माह के भीतर हुआ हो परंतु यह स्पाउज़ के स्थानांतरण के 60 दिनों के बाद हुआ हो, में बाद में स्थानांतरित हुये स्पाउज़ को स्थानांतरण [illegible] स्थानांतरण अनुदान का पचास प्रतिशत ही अनुमेय होगा। यदि दोनों स्थानांतरणों के आदेश 60 दिनों के भीतर किए गए हो तो बाद में स्थानांतरित हुये स्पाउज़ को कोई स्थानांतरण अनुदान अनुमेय नहीं होगा। छः माह या इससे अधिक की अवधि के बाद हुये स्थानांतरण के मामले में मौजूदा [illegible] रहेंगे। स्वयं के अनुरोध पर अथवा जनहित में किए गए स्थानांतरण की स्थितियों में ट्रांसफर [illegible] को छोड़कर, उनके मामलों में अन्य नियम अपरिवर्तित रूप से लागू रहेंगे।

ग. निजी सामान की ढुलाई:

लेवल	सड़क मार्ग द्वारा ढुलाई की दर
6 और इससे अधिक	रू 50/- प्रति किमी.
5	रू 25/- प्रति किमी.
4 और इससे कम	रू 15/- प्रति किमी.

जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा तब ये दरें 25% बढ़ जाएगी। प्रतिपूर्ति कर्मचारी [illegible] द्वारा वास्तविक रसीदें/वाउचर प्रस्तुत किए जाने के आधार पर अनुमेय होगा।

घ. वाहन की ढुलाई:

वाहन की ढुलाई के संबंध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधित नियमो के तहत स्वीकार्य [illegible]

4. सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते की पात्रता

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते में 4 घटक शामिल हैं: (क) स्वयं एवं परिवार के लिए यात्रा की पात्रता (ख) कम्पोजिट ट्रान्सफर एवं पैकिंग ग्रांट (सीटीजी) (ग) निजी सामान की ढुलाई के संबंध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति (घ) वाहन की ढुलाई के संबंध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

क. यात्रा की पात्रता: उपर्युक्त पैरा 3(क) के अनुसार

ख. कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रांट:

(i) उन रेलवे कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्त होने पर अपनी ड्यूटी के अंतिम स्थान से 20 किमी अथवा इससे अधिक की दूरी पर बसना चाहते हैं, के मामलें में उनके द्वारा लिए गए अंतिम मूल वेतन के 80% की दर पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रांट का भुगतान किया जाएगा। बहरहाल, अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप के द्वीप प्रदेशों में आकर रहने और वहां से जाकर रहने के मामले में सीटीजी अंतिम मूल वेतन के 100% की दर पर दिया जाएगा। पुराने और नए स्टेशन के आवास और रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड आदि के बीच यात्रा के लिए स्थानांतरण संबंधी आकस्मिक व्यय और रोड माइलेज, पहले से ही सीटीजी में सम्मिलित है और अलग से स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) उन रेलवे कर्मचारी कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्त होने पर ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर अथवा 20 किमी. से कम दूरी पर बस जाते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि वास्तव में निवास स्थान बदला हो, को सीटीजी के एक तिहाई का भुगतान किया जाएगा।

ग. निजी सामान की ढुलाई: उपर्युक्त पैरा 3(ग) के अनुसार

घ. वाहन की ढुलाई: उपर्युक्त पैरा 3(घ) के अनुसार